न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी –जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी– रामसुख गुर्जर आर. ए. एस

नामान्तकरण अपील संख्या 06/2016

अपीलांट :–

1. भंवरलाल पुत्र ज्ञानचन्द जाति ब्राहम्ण उम्र 58 वर्ष निवासी निमली तहसील दूदू जिला जयपुर, राजस्थान

बनाम

रेस्पोन्डेन्टगण:–

1 मालचन्द पुत्र पूर्णमल
2 सीताराम पुत्र पूर्णमल
3 सुरेश कुमार पुत्र पूर्णमल जाति समस्त ब्राहम्ण निवासियान ठठाणा तहसील कुचामनसिटी
4 सरपंच ग्राम पंचायत सरगोठ पंचायत समिति कुचामनसिटी
5 सचिव पदेन ग्राम सेवक ग्राम पंचायत सरगोठ पंचायत समिति कुचामनसिटी
6 राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि कुचामनसिटी

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 871 दिनॉक 30.12.2014 ग्राम पंचायत सरगोठ पंचायत समिति कुचामनसिटी

U/S 75 RLR Act

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 19/07/2017

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्यो का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम सरगोठ तहसील कुचामनसिटी के सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1434/1267 रकबा 3.97 हैक्टर स्थित चली आ रही है। उपर्युक्त भूमि पूर्व में पूरणमल पुत्र मोतीराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम ठठाणा की खातेदारी, कब्जा व अधिकारो की चली आ रही थी, उपर्युक्त भूमि खसरा नम्बर 1434/1267 रकबा 3.97 हैक्टर तत्कालीन खातेदार पूरणमल ने अपनी सम्पूर्ण भूमि का विधिवत बेचान जरिए विक्रय पत्र पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 265 में पृष्ठ संख्या 50 क्रम संख्या 2014005071 के द्वारा दिनॉक 08.12.2014 को अपीलांट को विक्रय कर दिया गया था तथा उसी दिन कब्जा सम्भला दिया गया था, उपरोक्त भूमि का नामान्तरकरण दर्ज कराने के लिऐ अपीलांट ने विक्रय पत्र की प्रति तत्कालीन पटवारी हल्का को दे दी गई थी, हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण भरने का आश्वासन दिया गया तथा दुबारा सम्पर्क नही किया। अपीलांट को इसकी जानकारी नही रही कि नामान्तरकरण दर्ज हुआ या नही जब अपीलांट दिनॉक 18.04.2016 को पटवारी हल्का से नकल खतौनी प्राप्त की तो जानकारी हुई कि नामान्तरकरण दर्ज नही किया बल्कि नामान्तरकरण अस्वीकृत कर दिया गया है तब नामान्तरकरण की नकल तहसीलदार से कुचामनसिटी से दिनॉक 23.08.2016 को प्राप्त की तो जानकारी हुई कि अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का से नही मिलने पर व ग्राम पंचायत में अपीलांट सम्पर्क नही किया उसके कारण राजनैतिक द्वैषता रखते हुए अपीलांट का नामान्तरकरण अस्वीकृत किया गया है जो पहले पटवारी हल्का के द्वारा भरा गया था जिसको दुबारा पुनर्विलोकन हेतु लिखा जाकर अस्वीकृत करा दिया गया

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

जो कि गलत व अवैध है । ग्राम सरगोठ के खसरा नम्बर 1434/1267 रकबा 3.97 हैक्टर भूमि जो अपीलांट की खरीदशुदा कब्जाशुदा भूमि आई हुई है जिसका पटवारी तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत सरगोठ द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण को दुबारा अस्वीकृत किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय सिद्धांतो के विपरीत है। उपर्युक्त भूमि जो कि अपीलांट की खरीदशुदा भूमि है जिसकी खातेदारी अपीलांट के नाम दर्ज कराने का अधिकारी है, उक्त नामान्तरकरण 871 दिनॉक 30.12.2014 को बिना आधार पर ग्राम पंचायत सरगोठ ने अस्वीकृत किया जिसको पुनः स्वीकृत करने का आदेश प्रदान करावे। अपीलांट की इस्तदुआ है कि ग्राम सरगोठ में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1434/1267 अपीलांट की खरीदशुद्वा भूमि का नामान्तरकरण संख्या 871 दिनॉक 30.12.2014 को पुनः स्वीकृत किया जाकर उक्त खातेदारी अपीलांट के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3, 6 के नोटिस तामिल होकर प्राप्त । बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 4, 5 की ओर से श्री बिरमाराम एडवोकेट ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल उपलब्ध कर जवाब हेतु समय दिया गया, तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता पैरवी हेतु अनुपस्थित रहे,जिससे उनके विरूद्व एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलांट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 871 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की,चालू जमाबन्दी की नकल, नक्शा ट्रेस की नकल, मूल बेचान दस्तावेज संख्या 2014005071 दिनॉक 08.12.2014 की प्रति प्रस्तुत की।

वकील अपीलांट की एक-पक्षीय बहस सुनी गई। वकील अपीलांट का कथन है कि उनके द्वारा पूरणमल पुत्र मोतीराम जाति ब्राहम्ण निवासी ठठाणा से ग्राम सरगोठ के खसरा नम्बर 1434/1267 रकबा 3.97 हैक्टर भूमि जरिये बेचान दस्तावेज संख्या 2014005071 दिनॉक 08.12.2014 से भूमि क्रय की गई। तत्पश्चात पटवारी हल्का को बेचान की प्रति उपलब्ध कराने पर पटवारी हल्का द्वारा जरिये बेचान नामान्तरकरण संख्या 871 दर्ज कर उसके पक्ष में स्वीकृत कराया गया। तत्पश्चात पुनराविलोकन कर पुनः नामान्तरकरण इस आशय के साथ खारिज किया गया कि उक्त भूमि को पूर्व में खातेदार पुरणमल द्वारा अन्य को बेचान कर दिया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। नामान्तरकरण संख्या 871 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि पहले नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है तत्पश्चात अस्वीकृत किया गया है , जिसका स्पष्ट उल्लेख नामान्तरकरण की पुश्त पर कहीं पर भी अंकित नही है। पटवारी हल्का सरगोठ एवं निरीक्षक भू.अ.मण्डावरा द्वारा पुनर्विलोकन कर पुरणमल द्वारा भूमि का दुबारा बेचान करने पर यह नामान्तरकण खारिज योग्य की टिप्पणी की गई है जो औचित्यपूर्ण नही है, चूँकि पटवारी हल्का एवं नि.भू.अ. द्वारा केवल मनमाने ढ़ग से भूमि को पूर्व में बेचान बताया है जबकि यदि पूर्व में भूमि बेचान की गई है तो बेचान दस्तावेज संख्या एवं बेचान की तिथि भी नामान्तरकरण की पुश्त पर अंकित की जानी थी, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वातों के विरूद्व है। सरपंच ग्राम पंचायत सरगोठ द्वारा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की टिप्पणी अंकित नही है तथा एक बार नामान्तरकरण स्वीकृत करने के पश्चात विधिवत सुनवाई कर ही आगामी कार्यवाही की जा सकती थी। सरपंच सरगोठ, पटवारी हल्का सरगोठ, नि.भू.अ.

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मण्डावरा का उक्त कृत्य पद पर रहते हुए अधिकारो का दुरूपयोग सिद्ध है। अतः इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं विभागीय कार्यवाही हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी एवं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को पृथक से लिखा जावे। अपीलांट के विरूद्ध पारित आदेश अस्वीकृत नामान्तरकरण को गुणवागुण के आधार पर पुनः सुनवाई किये जाने योग्य होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है।

आदेश

उपरोक्त सम्पूर्ण बहस विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है ओर सरपंच ग्राम पंचायत सरगोठ पंचायत समिति कुचामन सिटी जिला नागौर का नामान्तकरण कार्यवाही प्रविष्टी संख्या 871 अस्वीकृत को निरस्त किया जाता है तहसीलदार कुचामनसिटी गुणवागुण के आधार पर पक्षकार को सुना जाकर नियमानुसार आदेश पारित कर नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्पादित किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है।

आदेश आज दिनांक 19/07/2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रामसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)